www.ecourtsindia.com www.ecourtsindia.com www.ecourtsindia.com www.ecourtsindia.com www.ecourtsindia.com www.ecourtsindia.com www.ecourtsindia.com

न्यायालयः—तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर
(पीठासीन अधिकारी श्रीमती कंचन गुप्ता)
अंतरिम आवेदन कमांक 02/2021
सत्र प्रकरण कं560/2018

म.प्र. शासन द्वारा
आरक्षी केन्द्र—गोहलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.)

———अभियोजन

बनाम

1. गंगागिरी पिता सीतागिरी उम्र 24 वर्ष निवासी करोंदानाला बडी खेरी थाना अधारताल जबलपुर (म.प्र.)

2. अजय सिंह मरकाम पिता धनीराम मरकाम उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम सरौली थाना कुण्डम जिला जबलपुर (म.प्र.)

................अभियुक्तगण

08.10.2021

राज्य द्वारा श्री अनिल तिवारी अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

अभियुक्तगण की ओर से श्री ईश्वर सिंह राठौर एवं श्री राजकुमार भोजक अधिवक्ता उपस्थित।

इस आदेश द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 311 द.प्र.स. का निराकरण किया जा रहा है।

प्रस्तुत आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया।

अभियोजन द्वारा की ओर से आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 311 द.प्र.स. इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण में अभियोजन द्वारा सी.सी. टी.व्ही. की फुटेज की सी.डी. एवं धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, किन्तु प्रकरण में पूर्व अपर लोक अभियोजक द्वारा प्रकरण में संलग्न सी.सी.टी.व्ही. की फुटेज की सी.डी. पर

a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-

आर्टीकल मार्क नहीं कराया गया है। उक्त सम्बन्ध में साक्षी अविनाश त्रिवेदी को अ.सा.–7 के रूप में परीक्षित कराया गया है। अतः प्रकरण के उचित निराकरण हेतु उक्त साक्षी से सी.सी.टी.व्ही. की फुटेज की सी.डी. को प्रमाणित कराया जाना न्यायोचित है। अतः आवेदन स्वीकार कर उक्त साक्षी अविनाश त्रिवेदी अ.सा.–7 को पुनः साक्ष्य हेतु तलब किए जाने का निवेदन किया गया ।

आरोपीगण के अधिवक्तागण ने आवेदन का विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि अभियोजन द्वारा प्रकरण में उक्त आवेदन पत्र काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया है। प्रकरण में लगभग सम्पूर्ण साक्ष्य हो चुकी है। जिस साक्षी को साक्ष्य हेतु पुनः आहूत करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया है उसकी साक्ष्य वर्ष 2019 में समाप्त हो चुकी है। अभियोजन द्वारा साक्ष्य में आई अपनी कमी को पूरा करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसे निरस्त किया जाए।

प्रकरण का अवलोकन किया गया ।

प्रकरण में सी.सी.टी.व्ही. की फुटेज की सी.डी. एवं धारा 65 बी साक्ष्यअधिनियम का प्रमाण पत्र संलग्न है। साक्षी अविनाश त्रिवेदी अ.सा.–7 ने अपने मुख्य परीक्षण में कंडिका–1 के अंतिम पैरा में यह कथन किया है कि उसके ढावे में लगे सी.सी.टी.व्ही. की फुटेज की रिकार्डिंग पुलिस ने जप्त की थी जिसका जप्ती पत्र प्र.पी.–11है। प्रकरण में धारा 65बी का प्रमाण पत्र भी संलग्न है। उक्त दस्तावेज प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में संलग्न सी.सी.टी.व्ही. की फुटेज की सी.डी. एवं धारा 65बी के प्रमाण पत्र को अभियोजन द्वारा प्रमाणित कराए जाने से प्रकरण के उचित निराकरण में सहायता प्राप्त हो सकती है। प्रकरण वर्तमान में अभियोजन साक्ष्य के प्रक्रम पर है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण परिस्थितियों में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 311 द.प्र.स. स्वीकार करते हुए निर्देशित किया जाता है कि आगामी तिथि पर प्रकरण में संलग्न सी.सी.टी.व्ही. की

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-

फुटेज की सी.डी. एवं धारा 65 बी के प्रमाण पत्र को प्रमाणित कराए जाने हेतु साक्षी अविनाश त्रिवेदी को अ.सा.–7 को साक्ष्य हेतु आहूत किया जाए।

तदानुसार उपरोक्त आवेदन पत्र का निराकरण किया गया ।प्रकरण शेष अभियोजन साक्ष्य नियत किया जाता है । शेष साक्षी डा. अभिषेक तथा अविनाश त्रिवेदी को अ.सा.–7 को साक्ष्य हेतु आहूत किया जाए।

प्रकरण दिनांक 28.10.21 को पेश हो।

(श्रीमती कंचन गुप्ता)
13वें अपर सत्र न्यायाधीश,
जबलपुर(म0प्र0)

KANCHAN GUPTA

Digitally signed by KANCHAN GUPTA
Date: 2021.10.08 17:22:28 +0300

www.ecourtsindia.com
a True Copy of the Court Records Online. Proofed @ eCourtsIndia.com/TrueCopy/MP20010285132018-orderno-